(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4151–दो/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29–07–2013 के द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 163/अपील/2011–12

....

गणपति पुत्री स्व0 श्री रेवाराम
पत्नी श्री हरिप्रसाद
निवासी– ग्राम घोघरा,
तहसील नसरूल्लागंज जिला – सिहोर,(म0प्र0)

............................आवेदिका

विरूद्ध

1– रमेश आ0 रतनलाल
2– गनेशराम आ0 रतनलाल
3– प्रेमनारायण आ0 रतनलाल
निवासीगण– ग्राम घुटवानी,
तहसील नसरूल्लागंज जिला – सिहोर,(म0प्र0)
4– संन्तराबाई पुत्री रतनलाल पत्नी श्री रामस्वरूप
निवासी– ग्राम बरखेड़ी, तहसील नसरूल्लागंज
जिला – सिहोर,(म0प्र0)
5– सुमत्रांबाई पुत्री रतनलाल पत्नी रामकृष्ण
निवासी– ग्राम खरदा, तहसील– खातेगांव
जिला– देवास ,(म0प्र0)

.... अनावेदकगण

....

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 गुरौदिया, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 25.10. 2016 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–07–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम घोघरा, तहसील नसरूल्लागंज, जिला—सिहोर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 236 रकबा 2.104 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में रेवाराम के नाम पर दर्ज थी। जो कि उनकी स्वअर्जित सम्पति थी। आवेदिका अपने पिता के साथ ही निवास करती थी तथा उनके अंतिम समय में भी वह उनकी देखभाल किया करती है । इसी कारणवश उक्त तथ्यों को देखते हुये तहसील न्यायालय ने रेवाराम जीवनकाल में ही आवेदिका के हित में नामांतरण पंजी क्र0 28 दिनांक 20.02.2007 को कर दिया था । इस तथ्य की जानकारी अनावेदकगण की मां श्रीमती भागवती बाई को भी थी। वर्ष 2011 में भागवती बाई के उत्तराधिकारियों द्वारा नामांतरण पंजी क्र0 28 दिनांक 20.02.2007 के विरूद्ध एक अपील अनुविभागीय अधिकारी, नसरूल्लागंज के समक्ष प्रस्तुत की, साथ ही धारा 5 अवधि विधान का आवेदन—पत्र भी पेश किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, नसरूल्लागंज के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 22/अपील/2010—11 पर दर्ज होकर दिनांक 30.03.2012 को आदेश पारित कर अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्र0 163/अपील/2011—12 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 29.07.2013 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, नसरूल्लागंज के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये अनावेदकगण के पक्ष में आदेश किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम घोघरा, तहसील नसरूल्लागंज, जिला—सिहोर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 236 रकबा 2.104 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में रेवाराम के नाम पर दर्ज थी। जो कि उनकी स्वअर्जित सम्पति थी। आवेदिका अपने पिता के साथ ही निवास करती थी तथा उनके अंतिम समय में भी वह उनकी देखभाल किया करती है । इसी कारणवश इसी कारणवश उक्त तथ्यों को देखते हुये तहसील न्यायालय ने रेवाराम जीवनकाल में ही आवेदिका के हित में नामांतरण पंजी क्र0 28 दिनांक 20.02.2007 को कर दिया था । इस तथ्य की जानकारी अनावेदकगण की मां श्रीमती भागवती बाई को भी थी। अनोवदकगण द्वारा स्व0 श्री रेवाराम के जीवनकाल में आवेदक के पक्ष में हुये के विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गई, परन्तु आयुक्त भोपाल द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया । अनावेदकगण अधीनस्थ न्यायालय तहसील न्यायालय के समक्ष नामांतरण की कार्यवाही में

पक्षकार नहीं थे। इसलिये उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील कि अनुमति दिये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना था, परन्तु अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने कि अनुमति दिये जाने बावत आवेदन —पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त, भोपाल ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि श्री रेवाराम के स्वर्गवास के उपरांत आवेदिका निरंतर विवादित भूमि पर कृषि कार्य कर रही थी और इस तथ्य की जानकारी अनावेदकगण को भलीभांति थी। वर्ष 2010 में घोघरा बांध के लिये विवादित भूमि अधिग्राहित की गई थी, तथा अधिग्राहित भूमि के मुआवजे का भुगतान आवेदिका को किया जाना था। इस तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर अनावेदकगण ने लालचवश धारा 5 के आवेदन—पत्र में असत्य तथ्यों का उल्लेख करते हुये अनुविभागीय अधिकारी, के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी । विधि का का यह मान्य सिद्धांत है कि स्वत्व के निराकरण का क्षेत्राधिाकर केवल व्यवहार न्ययालय को है। राजस्व न्यायालयों को स्वत्व का निराकरण का क्षेत्रधिकार नहीं है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता में हुये संशोधन में उन प्रकरणों को प्रत्यावर्तित करने पर रोक लगाई गई, जोकि न्यायालय द्वारा गुण—दोषों के आधार पर पारित किया गया हो। विवादित प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, नसरूल्लागंज द्वारा गुण—दोषों पर आदेश पारित न करते हुये अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर आदेश पारित किया गया था । इसलिये म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित न करने सम्बधी संशोधन विवादित प्रकरण में लागू नहीं होगा । किन्तु आयुक्त महोदय भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा नियानुसार विचार किये बिना ही आदेश पारित किया गया, जो अवैधानिक एवं विधि के विपरीत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, नसरूल्लागंज के समक्ष अनावेदकगण द्वारा संशोधन पंजी क्रमांक 28 में

पारित आदेश दिनांक 20.02.2007 के द्वारा किये गये बटवारे के विरूद्ध में दिनांक 21.04.11 को अपील मय धारा 5 समयावधि विधिन का आवेदन—पत्र, शपथ—पत्र के प्रस्तुत किया गया था । अवधि विधान के आवेदन—पत्र का प्रतिउत्तर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किया गया । पर खण्डन में कोई शपथ—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया कि अनावेदकगण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानी थी। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि संशोधन में बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि संशोधन पंजी क्रमांक 28 में पारित आदेश दिनांक 20.02.07 द्वारा आवेदिका के पक्ष में बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संशोधन पंजी कॉलम 4 में पटवारी द्वारा नामांतरण के ब्यौरे में अंकित किया गया है कि स्व0 रेवाराम ने तहसील न्यायालय में पारिवारिक बटवारे हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह अपनी सम्पूर्ण भूमि एक मात्र वारिस गणपति बाई जो कि उसकी पुत्री है को देना चाहता है और इस आधार पर संशोधन पंजी पर बटवारे हेतु तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया। इसी आधार पर तहसीलदार द्वारा बटवारा स्वीकृत किया गया । यहां यह उल्लेखनिय है कि पटवारी द्वारा कॉलम 4 में जो स्थिति वर्णित की गई है वह आदेश पत्रिका के स्वरूप की है। " 1995 रा.नि. 27 में यह स्पष्ट निर्णित किया गया है कि विभाजन का आदेश नामांतरण रजिस्टर पर नहीं किया जा सकता । 1994 रा.नि. 302 के अनुसार विभाजन की कार्यवाही आवेदन—पत्र पर ही प्रारंभ की जा सकती है । नामांतरण रजिस्टर में विभाजन की कार्यवाही अवैध है। " उक्त न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण गुणागुण पर किया जाना चाहिये था, न कि तकनीकी आधार पर । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, नसरूल्लागंज द्वारा प्रकरण क्रमांक 22 / अपील / 2010—11 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2012 निरस्त किया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत पंजी के साथ न तो कोई ऐसा आवेदन—पत्र संलग्न है और न ही वैध वारिसों की जानकारी प्राप्त करने संबंधी कोई दस्तावेज संलग्न है। इश्तहार का प्रकाशन भी कब और कहां किया गया कोई प्रतिलिपि संलग्न नहीं। ऐसे में विचारण न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 20.02.2007 निरस्त किये जाने योग्य है । इसी स्तर पर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.07.2013 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को

निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । मैं आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के द्वारा निकाले गये इस निष्कर्ष से सहमत हूँ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2013 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर